न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस संख्या 2023/400

1. साधूराम पुत्र धन्नाराम यादव जाति अहीर निवासी ग्राम बडनगर तहसील पावटा जिला जयपुर।
2. सुरजमल पुत्र धन्नाराम यादवजाति अहीर निवासी ग्राम बडनगर तहसील पावटा जिला जयपुर।

—अपीलार्थीगण

बनाम

1. श्रीमान उपखण्ड अधिकारी, पावटा तहसील पावटा जिला जयपुर राज०।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पावटा तहसील पावटा जिला जयपुर राजस्थान।

—रेस्पोडेंट्स

3. कन्हैयालाल पुत्र धन्नाराम
4. धूणी लालपुत्र धन्नाराम
5. सुवालाल पुत्र धन्नाराम
समस्त जाति अहीरअहीर निवासी ग्राम बडनगर तहसील पावटा जिला जयपुर।

—तरतीबी रेस्पोडेंट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम विरूद्ध आज्ञा उपखण्ड अधिकारी, पावटा जिला जयपुर हाल जिला कोटपूतली—बहरोड दिनांक 04.08.2022

उपस्थित—
1. श्री एन.के.यादव वकील अपीलान्ट
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल वकील रेस्पो0 1 व 2 की ओर से।

निर्णय

दिनांक—26.06.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला जयपुर हाल जिला कोटपूतली—बहरोड राजस्थानके निर्णय दिनांक 04.08.2022 के खिलाफ प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम की धारा—5 एवं प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. के साथ प्रस्तुत हुई है।

2. यह कि संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है, कि यह कि वाके ग्राम बडनगर तहसील पावटा जिला कोटपूतली—बहरोड स्थित आराजी खसरा नंबर 3813/2377, 2307, 2328/2307, 2286, 2283, 2280, 2278, 2279 भूमि के संबंध में तहसीलदार पावटा द्वारा रास्ते प्रस्ताव भिजवाये जाने पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला कोटपूतली—बहरोड द्वारा भूमि की किस्म राजस्व रिकॉर्ड में किस्म गैर मु0 रास्ता दर्ज करने के आदेश दिनांक 04.08.2022 को दिये गये

संभागीय आयुक्त
जयपुर

3. उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड के उक्त निर्णय दिनांक 04.08.2022 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय उपखण्ड अधिकारी पावटा दिनांक 04.08.2022 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि वाके ग्राम बडनगर तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड स्थित आराजी खसरा नंबर 3813/2377, 2307, 2328/2307, 2286, 2283, 2280, 2278, 2279 के अपीलांट्स व तरतीबी रेस्पो0 काबिज रिकाड्रेड खातेदार है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण को बिना कोई नोटिस एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये ही एक पक्षीय रूप से राजस्व रिकार्ड व नक्शे में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने राजस्व लोक अदालत में जो एक पक्षीय रूप से आदेश पारित किया है, वह पूर्णताया एकपक्षीय, क्षेत्राधिकार–विहीन एवं न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं तथा अपीलान्ट खादारान को किसी भी प्रकार का कोई नोटिस एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही राजस्व लोक अदालत में तहसीलदार, पावटा द्वारा की गई एक पक्षीय मौका निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्टस् की खातेदारी में वे एक पक्षीय रूप से नया रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये है। प्रकरण में अपीलान्टस् एवं अन्य खातेदारों को, सुनवाई, जवाब, शहादत, सबूत, आदि प्रस्तुत करने का कतई कोई समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया, तथा न ही विधिक प्रक्रिया का ही कोई पालन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने कुछ खातेदारों को, अनुचित, अवैध लाभ पहुंचाने की दृष्टि से नया रास्ता मौके पर चालू करने के उद्देश्य से आज्ञा प्रसारित की है। चूंकि रास्ते संबंधी प्रावधान धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में दिये गये हैं। प्रार्थीगण की भूमि में कभी कोई रास्ता नही रहा न मौके पर कोई रास्ता है। पटवारी हल्का ने बिना मौका पर गए रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की है न मौके रिपोर्ट बनाने बाबत कोई नोटिस ही दिया गया है। उक्त खसरा नं. में प्रार्थीगण का पुख्ता मकान मौजूद है जो कि लगभग 40 वर्ष पुराना है। पटवारी हल्का द्वारा बिना मौके की जॉच किये रिपोर्ट प्रेषित की है। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने प्रशासन गांवो के संग अभियान में उक्त समस्त तथ्यों की जॉच व अवलोकन किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित करने में कानूनी गलती की है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड 04.08.2022 निरस्त किया जावे।

6. राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि तहसीलदार पावटा ने जो रास्ता प्रस्ताव भेजा है उसमें स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि प्रस्तावित रास्ता मौके पर प्रचलित है एवं सार्वजनिक रूप से आवागमन हेतु उपयोग में आ रहा है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भू–राजस्व अधिनियम की धारा 131 व 132 एवं भू–राजस्व अभिलेख नियम 1957 के 58, 59, 60 व 86 के प्रावधानों व पहलुओं पर विचार कर विधिक प्रक्रिया के तहत ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलांट को जारी

संभागीय आयुक्त
जयपुर

नकल दिनांक 23.07.2023 को प्राप्त होना बताया गया है। अतः न्यायहित में अपीलांट द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने पर हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। प्रभावित पक्षकार होने से प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि ग्राम बडनगर तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड स्थित आराजी खसरा नंबर 3813/2377, 2307, 2328/2307, 2286, 2283, 2280, 2278, 2279 भूमि के संबंध में तहसीलदार पावटा द्वारा रास्ते प्रस्ताव भिजवाये जाने पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड द्वारा भूमि की किस्म राजस्व रिकॉर्ड में किस्म गैर मु0 रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये गये। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि उपरोक्त आराजीयात के अपीलांट्स व तरतीबी रेस्पो0 काबिज रिकार्ड्ड खातेदार है इनको अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व ना तो नोटिस ही दिया और ना ही किसी प्रकार का सुनवाई का अवसर दिया गया ना ही खातेदारान् द्वारा कोई किसी प्रकार का सहमति पत्र प्रस्तुत नही किया गया है। तहसीलदार पावटा से भूमि विवादग्रस्त के संबंध में मौका रिपोर्ट तलब की गई जिसमें स्पष्ट रूप से अंकित है कि खसरा नं. 2286 में मकानात बने हुये हैं एवं विवादग्रस्त खसरा नम्बरान् से लगते हुये खसरा नं. 2308 रकबा 0.61 में सी.सी.रोड बना हुआ है जो कि आम रास्ते से जुडा है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड उचित एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड का निर्णय दिनांक 04.08.2022 निरस्त किया जाता है।

संभागीय आयुक्त जयपुर

(डॉ. आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 26.06.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त जयपुर

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।